जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर

कार्यालयः कमरा नं. 626, षष्ट्म तल, न्यू बिल्डिंग
जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय परिसर बनीपार्क जयपुर
Email : dlsa17jaipurmetro2@gmail.com

क्रमांक :– 1185 (A)

दिनांक :– 05/06/2021

निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा जयपुर महानगर द्वितीय न्याय क्षेत्र मे (चौमू, आमेर क्षेत्र सहित) विधिक सेवा कार्यक्रमो की क्रियान्वन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि के लिये वित्त (जी. एण्ड टी/एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2015 व 31.03.2021 के पूर्ण प्रावधानों की पालना में एक वाहन कार **(बोलेरो/महिन्द्रा स्कॉपियो/महिन्द्रा अरमाडा एवं इसी श्रेणी का समकक्ष वाहन)** वातानुकूलित किराये पर ली जानी है। इस हेतु पंजीकृत/अपंजीकृत अनुभवी टैक्सी वाहन स्वामी/फर्म से कोटेशन दरें आमन्त्रित की जाती है।

अतः इच्छुक पंजीकृत/अपंजीकृत अनुभवी टैक्सी वाहन स्वामी/फर्म अपनी दरें इस कार्यालय में दिनांक 21.06.2021 दोपहर 1 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है।

नोट :– बोलेरो कार को प्राथमिकता दी जावेगी।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक– 1185(B) – 1190

दिनांकः– 05/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय
2. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम एवं द्वितीय/जयपुर जिला/एडीआर सेंटर
3. श्याम ट्रेवल्स, विवेक विहार न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
4. चौधरी ट्रेवल्स, 504 विवेक विहार न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
5. नमित ट्यूर एण्ड ट्रेवल्स, प्लाट नं. 34, जैन एनक्लेव पत्रकार कॉलोनी, गोलियावास, मानसरोवर, जयपुर।
6. श्रीमान् सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर द्वितीय

– : : शर्तें एवं शरायतें: : –

1. प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति स्वामी/फर्म/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा दिये जा सकते है।
2. उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन टैक्सी (Taxi) के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिये।
3. वाहन 06 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में सक्षम स्वीकृति से उक्त अवधि को 02 वर्ष तक बढाया जा सकेगा।
4. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ–सुथरा रखेगा।
5. वाहन चालक वैद्य वाणिज्य वाहन (Commercial Vehicle) चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।
6. वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गए वाहन पर एक प्लेट यह उद्यत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है उपलब्ध करवानी होगी।
7. वाहन को यथा संभव कार्यालय परिसर में ही खडा किया जाएगा। (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
8. वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन के उपयोग हेतु कर्तव्य स्थान (Duty Point) से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जावेगी। लॉग बुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
9. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है शास्ति रूपये 2000/– (दो हजार रूपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।
10. वाहन की डीजल, पैट्रोल, ऑयल एवं मरम्मत का व्यय स्वयं अनुबंधित फर्म को करना होगा, अनुबंधित फर्म द्वारा उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रमाणित करवा कर बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेश करना होगा, अनुबंधित फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा, डीजल व पैट्रोल की वृद्धि होने पर अनुबंधित फर्म द्वारा दरों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा, वाहन स्वामी को केवल वाहन का प्रतिमाह किराये के अतिरिक्त कुछ अन्य राशि देय नहीं होगी।
11. प्रत्येक वाहन में जी.पी.एस का Installation अनिवार्य होगा तथा इसकी Monitoring राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा की जावेगी।
12. वाहन मालिक को वाहन का किराया वित्त विभाग के परिपत्रों (यथासंशोधित) की शर्तो के अनुसार किया जायेगा। Rs. 26400/- per month for 1500 KMS (GST Extra, if applicable), Rs. 31350/- per month for 2000 Kms (GST Extra, if applicable) वाहन का उपयोग अधिकतम प्रतिमाह 2000 किलोमीटर किये जाने की सम्भावना है। उक्त वाहन वित्त (जी.एण्ड.टी/एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 के पूर्ण प्रावधानों की पालना में किराये पर लिया जाना है और वाहन के किराये का भुगतान उक्त परिपत्रों के अनुसार विधिनुसार/नियमानुसार किया जायेगा।
13. यदि वित्त विभाग उक्त दरो में भविष्य में या अनुबंध अवधि में कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित दरों से भुगतान किया जावेगा।
14. उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त पथकर का पुनर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। पथकर के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेगें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर द्वितीय

15. सभी विधिक कटौतिया जैसे आयकर (टीडीएस) सेवाकर इत्यादि भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जाकर भुगतान किया जावेगा।
16. सफल प्रस्तावक (वाहन प्रदाता) को 500/– के Non-Judicial Stamp Paper पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा।
17. चूंकि यह निविदा प्रस्ताव नहीं है तथा वाहन किराये पर लिये जाने हेतु पैनल तैयार किया जाना है अतः प्रस्ताव के साथ प्राप्त दस्तावेजों एवं कार्य अनुभव एवं अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने का अंतिम निर्णय कार्यालयध्यक्ष का होगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर महानगर द्वितीय होगा।
19. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में वाहन का फिजिकल निरीक्षण व दस्तावेजात (टैक्सी नं. फिटनेस व परमिट, इंश्योरेंस, वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि) की जांच के उपरांत उपयुक्त वाहन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयुर को प्रेषित किया जावेगा एवं निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
20. अनुबंध के समय अन्य आवश्यक शर्ते शरायत जोडी जा सकेगी।
21. अपूर्ण/अस्पष्ट निविदायें प्रथमदृष्टया ही निरस्त कर दी जावेंगी, दरें अंकों एवं शब्दों में साफ अंकित की जानी चाहियें। निविदा में कटिंग तथा अपलेखन नहीं होना चाहिए।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
मय पता व फोन नम्बर

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर द्वितीय